न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)
क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 07/2017/(2017/00155) भीलवाड़ा

महिपाल सिंह पुत्र मोहन सिंह राजावत जाति राजपूत निवासी ग्राम बिरधोल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश दिंनाक 10–02–2017

————

उपस्थितः 1– श्री मदन लाल गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता मोहन सिंह पुत्र महावीर सिंह राजावत जाति राजपूत निवासी ग्राम बिरधोल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा का निवासी है जिसके नाम एक 12 बोर एकनाल गन का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/01/1962 (बी0एच0एल0/171/1990) का लाईसेंसधारी है। उक्त शस्त्र का अनुज्ञा पत्र अपने नाम जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र मय आचरण संबंधी शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर पुलिस थाना में जमा है, का एक माह में निस्तारण करने का आदेश पारित कर दिया।

अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 10–2–2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होना मानकर उसका अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया जबकि उक्त आपराधिक प्रकरणों का कई सालो पूर्व ही दिनांक 10–11–2005 को निर्णय होकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक ने उक्त तथ्यों की जांच किये बिना अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन होना बता दिया जिसके आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का उक्त शस्त्र पुश्तैनी है जो उसे पारिवारिक वंशावली में प्राप्त हुआ है तथा उक्त हथियार का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी एक शांतिप्रिय व्यक्ति है जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बिना किसी आधार के निरस्त करने में भारी भूल की है जबकि जिला मजिस्ट्रेट, ने अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होना बताया है जिनका निर्णय किया जाकर अपीलार्थी उक्त प्रकरण मे बरी हो चुका है। अपीलार्थी को बन्दूक चलाने का भी अनुभव है जिसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। विरासतन हथियार का हस्तांतरण अपीलार्थी के नाम होना चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 10–2–2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बी0एच0एल0/171/1990 को अपीलार्थी के नाम जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा सीआईडी जोन अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध थाना सदर में मु0न0 162/94 धारा 279,337 भा0द0स0 में तथा मु0न0 257/98 धारा 279, 304ए भा0द0स0 में दर्ज होकर पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। अपीलार्थी

आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित एवं दृष्टिगत नहीं माना है तथा अपीलार्थी को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं होने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है। उक्त रिपोर्ट एवं आयुद्ध अधिनियम के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया तथा स्व0 मोहन सिंह पिता महावीर सिंह निवासी बीरधोल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/01/1962 (बी0एच0एल0/171/1990) को निरस्त कर इनमें दर्ज हथियार एक 12 बोर एक नाल जो पुलिस थाना कोटड़ी में जमा है, को एक माह की अवधि में निस्तारण की कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 10–2–2017 द्वारा दिये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा सीआईडी जोन अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध थाना सदर में मु0न0 162/94 धारा 279,337 भा0द0स0 में तथा मु0न0 257/98 धारा 279, 304ए भा0द0स0 में दर्ज होकर पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। अपीलार्थी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित एवं दृष्टिगत नहीं माना है तथा अपीलार्थी को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं होने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है, के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के पिता स्व0 मोहन सिंह पिता महावीर सिंह निवासी बीरधोल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/01/1962 (बी0एच0एल0/171/1990) को निरस्त कर इनमें दर्ज हथियार एक 12 बोर एक नाल जो पुलिस थाना कोटड़ी में जमा है, को एक माह की अवधि में निस्तारण की कार्यवाही करने के आदेश दिये है जो विधिसम्मत है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं की सुरक्षा एवं फसलों की सुरक्षा हेतु अपने पिता के नाम जारी शस्त्र को अपने नाम जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा पूर्व में थाने में मुकदमें भी दर्ज हुए है। अपीलार्थी को लोक शांति व सुरक्षा के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है अपीलार्थी को किससे जानमाल का खतरा है ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाकर उनके पिता स्व0 मोहन सिंह पिता महावीर सिंह निवासी बीरधोल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/01/1962 (बी0एच0एल0/171/1990) को निरस्त कर इनमें दर्ज हथियार एक 12 बोर एक नाल जो पुलिस थाना कोटड़ी में जमा है, को एक माह की अवधि में निस्तारण की कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 10–2–2017 द्वारा दिये है जो

सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/निरस्त/आदेश/2017/23238 दिनांक 10–02–2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर